HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14189/2026
CNR: RJHC020871942026 | URN: CRLMB / 26153U / 2026

1. Yogesh Singh S/o Mahendra Singh, Aged About 22 Years, R/o Shahadpur, P.s. Mahuwa, District Dausa, Raj. (At Present In District Jail Gangapur City).
2. Abhinav S/o Naval Singh, Aged About 19 Years, R/o Shahadpur, P.s. Mahuwa, District Dausa, Raj. (At Present In District Jail Gangapur City).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Bhardwaj
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/11/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–उदेई मोड, गंगापुर सिटी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **164/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 137(2), 140(2), 140(3), 308(2), 115(2), 126(2), 352, 351(3), 324(2) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी रोबिन ने प्रार्थीगण/अभियुक्त का नाम घटना कारित करने वालों मे नहीं बताया है, जबकि बाद में उसने जो कथन लेखबद्ध करवाये हैं, उसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम लिया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की कोई शिनाख्तगी परेड नहीं करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण पर आक्षेप है

कि उन्होंने डेढ लाख रूपये की राशि परिवादी के मोबाईल फोन से अंतरित की लेकिन अनुसंधान के दौरान इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सामने नहीं आई है। उनका तर्क है कि आहत सूरज व रोबिन के साधारण प्रकृति की चोटें आना प्रकट हुआ है। प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण अर्जुन व दिकेश को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वे दिनांक **28.7.2026** से निरन्तर अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से स्पष्टतः प्रमाणित है, जिसमें उसके द्वारा बेल्ट से फरियादी को मारते हुए दिख रहा है। उनका तर्क है कि इस घटना में आहत के शरीर पर चोटें आई हैं। प्रार्थीगण आदतन अपराधी है। अभियुक्त योगेश सिंह व अभिनव के विरूद्ध पूर्व के क्रमशः 10 व 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। गंभीर अपराध है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को आहत रोबिन द्वारा ही पहचाना गया है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में परिवादी रोबिन कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.9.2025 को इस आशय की दर्ज करवाई गई थी कि दिनांक 16.9.2025 को जब वह अपने मित्र अंशुल के साथ मोटरसाईकिल पर अपने अन्य मित्र सूरज मीणा से मिलने जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्तगण ने जबरन उसका अपहरण कर स्विफ्ट गाडी में बैठा लिया और दूर ले जाकर उससे रूपयों की मांग की, मना करने पर उसके साथ मारपीट की तथा उसके मोबाईल से डेढ लाख रूपये यू.पी.आई. से अंतरित कर लिए। प्रथम सू. चना रिपोर्ट में प्रार्थी–अभियुक्त की सम्पूर्ण अपराध में सक्रिय भूमिका होना प्रकट हुआ है

तथा जो वीडियो अनुसंधान के प्रक्रम पर बरामद किया गया है, उसमें भी प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ बेल्ट से मारपीट किया जाना दर्शित हो रहा है। परिवादी के अनुसार इस घटना में उसके शरीर पर चोटें कारित हुई है तथा उसके चोट प्रतिवेदन से भी उसके शरीर पर चोटें आना दर्शित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त योगेश सिंह के विरूद्ध पूर्व के **10 आपराधिक प्रकरण** दर्ज होना पाये गये हैं,। ये प्रकरण उसके विरूद्ध पुलिस थाना क्षेत्र महवा, मंडावर, उदेई मोड, व ब्यावर शहर में वर्ष 2024 से 2026 के मध्य दर्ज हुए हैं, जो अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3172), 341(4), 115(2), 126(2), 189(2), 351(3), 140(2), (3), 352, 137(2), 308(2) 342(2), 109(1), 189(2), 351(2) बी.एन.एस., 3(1) (आर), 3 (2) (वी ए) एस.सी. /एस.टी. एक्ट, 3/25 आयुध अधिनियम के हैं, जिनमें दो प्रकरणों में उस पर क्रमशः **5000/–रूपये व 20,000/– का ईनाम** भी घोषित किया जाना प्रकट हुआ है। इसी प्रकार अभियुक्त अभिनव के विरूद्ध भी कुल **8 आपराधिक प्रकरण** पूर्व में दर्ज होना पाये गये हैं जो अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, भारतीय दण्ड संहिता व धारा 189(2), 109(1) 351(2), 115(2), 126(2), 351(2), 62, 352, 140(3), 303(2), 304(2) बी.एन.एस., 3(1) (आर)(एस), 3 (2) (वी) एस.सी./एस.टी. एक्ट, 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है तथा जो पुलिस थाना महवा, उदेई मोड, ब्यावर शहर व मंडावर में वर्ष 2024 से 2026 के मध्य दर्ज हुए हैं। जिनमें से एक प्रकरण में वह **5,000/–रूपये का ईनामी अपराधी** होना प्रकट हुआ है। इस प्रकार दोनों अभियुक्तगण पर अवैध हथियार रखने व धमकी, मारपीट, जबरन वसूली, व्यपहरण, फिरौती, हत्या के प्रयास, धोखाधडी, जालसाजी के संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाये गये है। इससे प्रतीत हो रहा है कि **प्रार्थीगण–अभियुक्तगण आदतन अपराधी है तथा उनके द्वारा पूर्व में जमानत पर छूटने के बाद हर बार जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया है** व अपराध कारित किए है। सहअभियुक्तगण अर्जुन व दिकेश उर्फ दिलकेश, जिनको पूर्व में जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, के विरूद्ध पूर्व के कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाये गये हैं। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का मामला उनसे भिन्न है। प्रकरण गंभीर प्रकृति

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/15/JITENDRA SINGH PANWAR